



# आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्या:-06/2022-23

दिनांक

## अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.व्यू धनराशि (₹0 लाख में)	धरोहर धनराशि (₹0 में)	निविदा मूल्य (₹0 में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पत्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	रजरई रोड के पास स्थित नालन्दा टाउन कालोनी से निकलने वाले सीवरेज स्लज मिश्रित जल के निस्तारण हेतु 200किली0 क्षमता के एस.टी.पी. का निर्माण कार्य (सिविल कार्य, इलेक्ट्रो मेकेनिकल उपकरण स्थापना का कार्य एवं एस.टी.पी. से निकलने वाले ट्रीटेड वाटर को गार्डनिंग में उपयोग करने का कार्य एक वर्ष के अनुरक्षण सहित एम.बी.बी.आर. टेक्नोलॉजी पर आधारित)	82.95	1,66,000/-	2800/-	04 माह	विशिष्ट श्रेणी	खण्ड-2

- उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 02.06.2022 को आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 27.05.2022 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 02.06.2022 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण वेबसाइट [www.adaagra.org.in](http://www.adaagra.org.in) पर देखी जा सकती है।

### नियम व शर्तें :-

- उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 02.06.2022 को आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिवस अपराह्न 04:00 बजे खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 27.05.2022 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 02.06.2022 के अपराह्न 03:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक वेबसाइट <https://inducollect.indusind.com/pay/index.php> से जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नम्बर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक ही निविदा डालने का अधिकार होगा।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होंगी।
- निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी।
- निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टीसी-2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफॉर्मेंस गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पेवर/हॉटमिक्स प्लान्ट के कार्यों में केवल हॉटमिक्स प्लान्ट धारक ठेकेदार ही भाग ले सकते हैं। प्लान्ट स्वामित्व का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा विचारणीय न होगी।
- सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदादाता के रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी मा0 न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
- 40 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यों में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होंगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का स्पष्ट उल्लेख कर दें, ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में RTGS/NEFT के माध्यम हस्तान्तरित की जा सके।
- जिन ठेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होंगे व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

पत्रांक : 55/डी/सी.ई/2022-23, दिनांक : 26/05/2022  
प्रतिलिपि :-

- उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- सचिव महोदय को सूचनार्थ।
- वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।
- प्र0 अधिशासी अभियन्ता (ई-टेन्डरिंग) को वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
- प्र0 जनसम्पर्क अधिकारी को प्राधिकरण वेबसाइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- समस्त अधि0अभि0 अपने से सम्बन्धित कार्य की बी.ओ.व्यू समयान्तर्गत प्र0अधिशासी अभियन्ता (ई-टेन्डरिंग) को प्रेषित करायें।
- नोटिस बोर्ड पर चप्पा हेतु।

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता